#shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 20.11.2022

थाना पुंवायाँ पुलिसने किया हत्या के प्रयास की झूठी घटना का खुलासा,

विपक्षियों को मुकदमे मे रंजिशन फसाने के उद्देश्य से स्वंय को मारी थी गोली,

शातिर अभियुक्त गिरफ्तार व घटना मे प्रयुक्त 01 अवैध देशी तमंचा .32 बोर मय खोखा/जिन्दा कारतूस बरामद I

दिनाँक 19.11.22 थाना पुंवायाँ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 921 /22 धारा 307/504 भादवि मे वादी द्वारा अवतार पुत्र अनिल निवासी ग्राम मुकीमपुर द्वारा उसके चचेरे भाई गौरव अवस्थी को विपक्षीगण अरविन्द मिश्रा उर्फ काजू व उसके भाई अजय मिश्रा एवं एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा जमीनी विवाद मे जान से मारने की नियत से गोली मार देना व गाली-गलौज देने का अभियोग पंजीकृत करवाया गया था।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा श्री संजीव कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री पंकज पंत क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक पुवायां श्री प्रदीप कुमार राय को गहनता से विवेचना कर दोषियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देश दिये गये।

इसी क्रम मे विवेचक द्वारा घटनास्थल का बरीकी से निरीक्षण किया गया व तमामी साक्ष्यों के आधार पर पाया कि वादी के चचेरे भाई द्वारा विपक्षियों को रंजीशन फसाने के उद्देश्य से स्वयं को गोली मारी थी जिसका थाना पुवायां पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त गौरव को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त उसके खेत से एक तमंचा .32 बोर व 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद किया गया।

इस तरह से थाना पुवायां पुलिस द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करते हुए निर्दोष को बचाया गया जिसकी जनमानस द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा थाना पुवायाँ पुलिस का उत्साहवर्धन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त : -

1. गौरव अवस्थी पुत्र स्व0 भोलेनाथ अवस्थी निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर (अन्तर्गत धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट)

बरामदगी : -

1. घटना मे प्रयुक्त एक अदद देशी नाजायज तंमचा .32 बोर
2. 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा करतूस .32 बोर

विस्तृत पूछताछ : -

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.11.22 को उसके चचेरे भाई गौरव अवस्थी द्वारा योजना के क्रम मे सुबह ट्रेक्टर के साथ विवादित खेत मे चलकर जुताई के लिये कहा गया एवं योजना के अनुसार गौरव द्वारा अपने बाये हाथ मे .32 बोर तंमचा से स्वयं के गोली मारी गयी जब अवतार द्वारा ऐसा करने का कारण पूछा तो उसके द्वारा अरविन्द मिश्रा उर्फ काजू को फसाने के लिये काजू द्वारा गोली मारने की बात एवं चपल्लो व फावडो को मौके पर इधर उधर फेकने की बात एवं अपने पैरो से इधर उधर चलकर घटना को वास्तविक रूप देने के लिये पूर्व मे भागने

वाली दिशा मे ढेर सारे पैरो के निशान बना दिये गये थे गौरव द्वारा योजना अनुसार स्वयं को गोली मारने के उपरांत अवतार को रोड पर जाकर जोर-जोर से चिल्लाने को कहा गया था एवं स्वयं समय 8.52 सुबह पर 112 नं0 पुलिस को गोली मारे जाने की सूचना दी गयी थी। इसी क्रम मे गौरव अवस्थी ने बताया कि मैने अपने रिश्तेदार अरविन्द मिश्रा उर्फ काजू से वर्ष 2019 मे 02 लाख रूपये उधार लिये थे व पैसे ने वापस करने की दशा मे 23 डिस्मिल जमीन का बैनामा कर दिया था जमीन महंगी हो जाने के कारण व मेरे मन मे लालच आ जाने के कारण मेरे द्वारा अपने चचेरे भाई को गवाह बनाने के उद्देश्य से सुबह ट्रेक्टर से खेतो पर ले गया था एवं योजना के तहत पूर्व मे घटना स्थल पर सत्य प्रतीत हो पहले से ही पूरे खेत मे पैरो के निशान व दो फावडे व चपल्लो को इधर उधर फेक दिया गया था एवं अरविन्द मिश्रा उर्फ काजू व उसके भाई को फसाने के उद्देश्य से स्वयं ही .32 तमंचे से गोली मार ली गयी अब घटना की सारी जानकारी पुलिस को हो गयी है। इसलिये माफी मांग रहा हूँ। इसी क्रम मे मैने खेत मे तमंचा को जमीन में खोदकर छुपा दिया था जिसको मैने बरामद करा दिया है। पकडे गये अभियुक्तगणो के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>*पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास-*</u>

1. मु0अ0सं0 927 /22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना पुंवायाँ शाह0पुर

<u>*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u> :-*

1. उ0नि0 राजाराम
2. का0 जतिन चौधरी
3. का0 मनोज कुमार